पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर

किसान बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना

''खेतों में फसल के साथ पॉप्लर के पौधे लगायें, आमदनी एवं हरियाली बढाऐं, प्रदेश में खुशहाली लायें''

योजना का उद्देश्य	• किसानों के खेतों में अल्पावधि वाणिज्यिक प्रजाति के पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। • राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़िकरण। • वन उत्पाद आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। • हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण का शुद्धिकरण।
पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता	• चयनित किसानों को वन विभाग द्वारा पॉप्लर के पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
योजना में दिये जाने वाले लाभ	• योजना में शामिल होने वाले उद्यमियों/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधे माह दिसम्बर–जनवरी में 10 रूपया सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं। • पौधों की देखभाल के लिय कृषकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 3 वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उतरजीविता रहने पर 60 रु0 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा सुरक्षित मूल्य 10 रु0 भुगतान किये जाने का प्रावधान है। • वृक्षारोपण पूरे खेत में 3 मी0 x 4 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेड़ पर किया जा सकता हैं। किसानबंधु अपनी आवश्यकतानुसार तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार पौधे लगा सकते हैं। • पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।
योजना में शामिल होने के लिए पात्रता	• आवेदक की अपने नाम से या लीज पर कम–से–कम 100 पौधें लगाने लायक भूमि होनी चाहिए। • जमीन समतल, ऊँची जल–जमाव मुक्त होनी चाहिए।
आवेदन कहाँ करें	आवेदन स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में या संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। hariyalimission@gmail.com पर ई–मेल करें।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात	• भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र। • अद्यतन लगान रसीद। • लीज डीड की छायाप्रति।
चयन में प्राथमिकता	• जो दो हेक्टेयर या अधिक भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो। • एक से अधिक किसान एक ही स्थान पर मिलकर दो हेक्टेयर या अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।
विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें	• संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय • बेबसाईटः– **www.forest.bih.nic.in** • ई–मेलः– **hariyalimission@gmail.com**

आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :– .... 2. जिला का नाम :– ....

3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :– .... 4. प्रखंड का नाम :– ....

5. आवेदक का नाम :– ....

6. पिता/पति का नाम :– ....

7. पेशा :– ....

8. जन्म तिथि :– ....

9. स्थायी पता :– ....

10. वर्त्तमान पत्राचार का पता :– ....

(दूरभाष/मोबाईल नं0 अंकित करें) ....

11. ई–मेल (यदि हो) :– ....

12. भूमि का विवरण :– ....

क्र0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं0/वर्ष

13. समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं0/वर्ष

14. प्रस्तावित वृक्षारोपण :–

क्र0	वृक्षारोपण	पौधों की संख्या
(क)	फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)	
(ख)	कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)	

15 प्रशिक्षित है/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया ✓करें)

16. बैंक खाता विवरणी :–

बैंक खाता नं0	बैंक का नाम एंव शाखा	I.F.S.C कोड

17. घोषणा :– मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी।

<u>संलग्न अभिलेख की विवरणी</u>

1.

2.

3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
तिथि के साथ